कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:– प्रशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/[illegible] लखनऊ: दिनांक [illegible]-9-2020

:–कार्यालय ज्ञाप–:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैशन सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/संबद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/भवनक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि आदि अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व की सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया :–

"किसी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईटी द्वारा अन्तिम अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईटी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र के सम्मुख अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईटी द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयोजित सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में विभाग स्तर से प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित संस्था के अखिल पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :–

क्रम सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईटी द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीसीआईटी /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	[illegible]	[illegible]	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईटी/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, शैक्षणिक विनियमावली-2018 तथा अन्य संबंधित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,000.00/– प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0– 65,000.00/–प्रतिवर्ष एवं एक वर्षीय दो अखिल पाठ्यक्रमों (दो अखिल फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-20,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रतिपूर्ति संस्था/छात्र से प्राप्त किया जायेगा। आयोग के अतिरिक्त संस्था/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये शासनादेश प्रभावी होंगे और अनुपालन करना होगा।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

संख्या:- [illegible]/2021/2637 **[illegible]: दिनांक: [illegible]2021**

[illegible]

[illegible] प्रदेश परिषद, [illegible] दिनांक [illegible] 2021-22 हेतु [illegible] [illegible] [illegible]